भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1976
11 दिसंबर, 2025 को उत्तर देने के लिए

फसल कटाई के उपरांत हानि

1976. श्री बलवन्त बसवंत वानखड़े:
श्री रामासहायम रघुराम रेड्डीः
श्री जयन्त बसुमतारी:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत दस वर्षों के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्रों सहित देश में कृषि और बागवानी की वस्तुओं की फसल कटाई के उपरांत आवश्यक हुई हानि की वर्ष-वार और वस्तु-वार मात्रा कितनी है;
(ख) फसल कटाई के उपरांत आवश्यक अवसंरचना के विकास के लिए आवंटित निधि और सहायता प्रदत्त परियोजनाओं का वर्ष-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और
(ग) खाद्य प्रसंस्करण क्षमता और आधुनिक भंडारण क्षमता में व्यापक वृद्धि करने के लिए क्या नई पहल की योजना है ताकि खाद्य अपव्यय को कम किया जा सके और किसानों की आय बढ़ाई जा सके?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री रवनीत सिंह)

(क): देश में फसलोत्तर नुकसान का आकलन करने के लिए, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद – केंद्रीय फसलोत्तर इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (आईसीएआर-सीआईपीएचईटी), वर्ष 2015 संदर्भ वर्ष 2012-14 और नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड (नैबकॉन्स), वर्ष 2022 संदर्भ वर्ष 2020-22 के माध्यम से दो अध्ययन शुरू किए थे।

चूंकि,आईसीएआर-सिफेट अध्ययन ने कृषि वस्तुओं की श्रेणी-वार और राज्य-वार मात्रा में हानियों को शामिल नहीं किया था, जबकि नैबकॉन्स अध्ययन में राज्य स्तर पर कुल अनुमानित प्रतिशत हानि की सूचना दी गई थी। इस प्रकार, अनुमानित प्रतिशत हानि की राज्य-वार जानकारी **अनुबंध-I** में दी गई है और भारत में विभिन्न कृषि उपज के फसलोत्तर नुकसान की श्रेणीवार मात्रा निम्नानुसार है:

फसलें/वस्तुएं	**अनुमानित मात्रा हानि**
	नैबकॉन्स अध्ययन के अनुसार (मिलियन मीट्रिक टन) (2022)
अनाज	12.49
दालें	1.37
तिलहन	2.11
फल	7.36
सब्ज़ियाँ	11.97
बागानी फसलें (गन्ना और मसाले सहित)	30.59
पशुधन उत्पाद (दूध, मांस और मछली)	3.01
अंडा*	7363

*अंडों के लिए, लाखों की संख्या में उत्पादन और प्रति अंडे की कीमत ली गई।

(ख) और (ग): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का उद्देश्य विभिन्न पहलों और योजनाओं अर्थात प्रधान मंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई), प्रधान मंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन (पीएमएफएमई) योजना और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएसएफपीआई) के कार्यान्वयन के माध्यम से खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र का सम्पूर्ण विकास करना है। ऊपर वर्णित योजनाओं के विभिन्न घटकों के अंतर्गत, एमओएफपीआई खेत से खुदरा दुकानों तक कुशल आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के साथ आधुनिक अवसंरचना सृजन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। सृजित अवसंरचना और दी गई सहायता का उद्देश्य किसानों को बेहतर आय देना, रोज़गार के अवसर सृजित करना, अपव्यय कम करना, प्रसंस्करण स्तर बढ़ाना और प्रसंस्कृत खाद्य का निर्यात बढ़ाना है।

एमओएफपीआई देश भर में वर्ष 2017-18 से केंद्रीय क्षेत्र की अम्ब्रेला योजना - प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) को कार्यान्वित्त करता है। पीएमकेएसवाई के अंतर्गत घटक योजनाएं (i) मेगा फूड पार्क (एमएफपी योजना- दिनांक 01.04.2021 से बंद कर दी गई है), (ii) एकीकृत शीत श्रृंखला और मूल्य संवर्धन अवसंरचना (iii) कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर अवसंरचना सृजन (एपीसी योजना), (iv) खाद्य प्रसंस्करण और परिरक्षण क्षमता सृजन/विस्तार (सीईएफपीपीसी योजना), (v) बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज सृजन (सीबीएफएल योजना- दिनांक 01.04.2021 से बंद कर दी गई है) और (vi) ऑपरेशन ग्रीन्स (ओजी योजना)

ये योजनाएं मांग आधारित हैं और निधि की उपलब्धता के आधार पर समय-समय पर अभिरुचि की अभिव्यक्ति जारी करके प्रस्तावों को आमंत्रित किया जाता है। इन घटक योजनाओं के अंतर्गत, एमओएफपीआई खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाओं की स्थापना के लिए अनुदान सहायता / सब्सिडी के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करता है, जिससे शीत श्रृंखला अवसंरचना सहित प्रसंस्करण और परिरक्षण दोनों अवसंरचना सुविधाओं का सृजन होता है। घटक योजनाओं के अंतर्गत सृजित सुविधाएं कच्चे कृषि उपज के परिरक्षण और प्रसंस्करण एवं कच्चे तथा तैयार संसाधित खाद्य उत्पादों के कुशल परिवहन में मदद करती हैं, जिससे कृषि उपज के फसलोत्तर नुकसान को कम किया जाता है। पीएमकेएसवाई के अंतर्गत प्रारम्भ से देश भर में कुल 1619 परियोजनाओं को स्वीकृत किया गया है, जिनमें से 1181 परियोजनाएं दिनांक 31 अक्टूबर, 2025 तक पूरी हो चुकी हैं। एमओएफपीआई की प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) एक मांग आधारित योजना है और इस योजना के अंतर्गत राज्य-वार निधि आवंटित नहीं की जाती है। पीएमकेएसवाई के अंतर्गत समर्थित परियोजनाओं का राज्य-वार और वर्ष-वार विवरण **अनुबंध-II** में दिया गया है।

एमओएफपीआई पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत देश में सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के स्थापना/उन्नयन के लिए वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता प्रदान करता है। देश भर में पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) उत्पादों सहित सभी उत्पादों के लिए संभावित उद्यमियों के लिए सहायता प्रदान की जाती है। यह योजना वर्ष 2020-21 से 2025-26 तक 10,000 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ प्रचालनरत है। दिनांक 31 अक्टूबर 2025 तक, 3,86,686 आवेदन बैंकों को भेजे गए हैं और जिनमें से 1,62,744 ऋण 13.23 हजार करोड़ रुपये की सावधि ऋण राशि के साथ स्वीकृत किए गए हैं। 1244.95 करोड़ रु. की प्रारम्भिक पूंजी सहायता 3,65,935 महिला एसएचजी सदस्यों के लिए स्वीकृत की गई हैं।

एमओएफपीआई की पीएलआईएफपीआई योजना का उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ वैश्विक खाद्य विनिर्माण चैंपियनों के सृजन का समर्थन करने और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खाद्य उत्पादों के भारतीय ब्रांडों का समर्थन करने का है। यह योजना 10,900 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ वर्ष 2021-22 से 2026-27 तक छह वर्ष की अवधि में कार्यान्वित्त की जा रही है। दिनांक 31 अक्टूबर 2025 तक, इस योजना के अंतर्गत 170 आवेदनों को अनुमोदित किया गया है, जिसमें लाभार्थियों ने 9,032 करोड़ रुपये के निवेश की सूचना दी है और 2162.553 करोड़ रुपये का प्रोत्साहन प्राप्त किया है।

****

अनुबंध- I

दिनांक 11 दिसंबर, 2025 को उत्तर के लिए "फसल कटाई के उपरांत हानि" के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1976 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

राज्यवार फसलोत्तर नुकसान

आंध्र प्रदेश	
उत्पाद	**समग्र कुल हानि (%)**
बाजरा	5.07
केला	9.33
काला चना	5.56
काजू	4.82
चना	5.71
मिर्च	7.06
साइट्रस	7.97
नारियल	4.32
कपास	3.03
अंडा	5.47
मूंग	6.17
मूंगफली	6.58
अंतर्देशीय मछली	4.68
मक्का	5.98
आम	7.9
समुद्री मछली	8.5
दूध	0.58
खरबूज	7.42
धान	5.73
पपीता	6.58
अनार	8.69
पॉल्ट्री मांस	7.39
ज्वार	5.67
टैपिओका	लागू नहीं
टमाटर	12.36
हल्दी	4.97

असम	
उत्पाद	**समग्र कुल हानि (%)**
पत्ता गोभी	7.38
अंडा	6.05
मांस	3.44
मशरूम	4.48
धान	6.07
अनानास	7.11
पॉल्ट्री मांस	6.61
मूली	5.14

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	
उत्पाद	**समग्र कुल हानि (%)**
सुपारी	6.44
नारियल	4.25

बिहार	
उत्पाद	**समग्र कुल हानि (%)**
लौकी	7.35
बैंगन	7.52
पत्ता गोभी	8.7
फूलगोभी	6.76
मूंग	6.06
अमरूद	15.36
अंतर्देशीय मछली	5.99
मक्का	5.83
आम	10.1
भिंडी	6.27
धान	4.65
अनानास	5.89
आलू	6.11
मूली	5.11
गन्ना	8.99
सूरजमुखी	5.18

छत्तीसगढ	
उत्पाद	**समग्र कुल हानि (%)**
लौकी	6.77
अमरूद	13.79
धान	3.92
मूली	6.66

गुजरात	
उत्पाद	**समग्र कुल हानि (%)**
मूंग	5.85
बाजरा	4.41
टमाटर	10.97
कपास	2.93
मूंगफली	5.31
भिंडी	5.79
चीकू	7.47
पत्ता गोभी	8.39
फूलगोभी	7.99
दूध	0.5
प्याज	7.57
सरसों	4.38
आलू	5.18
गेहूँ	5.18
मक्का	5.18
बीन्स	6.65
बैंगन	6.99
केला	7.59
काला चना	4.8
पपीता	5.81
धान	4.54
अरहर	4.27

हरियाणा	
उत्पाद	समग्र कुल हानि (%)
बाजरा	3.77
चना	5.66
कपास	2.55
अंडा	6.74
मांस	2.88
दूध	0.74
मशरूम	5.91
सरसों	4.52
पॉल्ट्री मांस	4.63
मूली	7.51
गन्ना	6.34
सूरजमुखी	4.44
गेहूँ	4.37

हिमाचल प्रदेश	
उत्पाद	समग्र कुल हानि (%)
सेब	9.2
शिमला मिर्च	5.74
हरी मटर	6.35
मशरूम	6.01
गेहूँ	3.32
मक्का	2.27

झारखंड	
उत्पाद	समग्र कुल हानि (%)
पपीता	6.73

जम्मू और कश्मीर	
उत्पाद	समग्र कुल हानि (%)
सेब	9.51
अंडा	6.08
मक्का	3.92

केरल	
उत्पाद	समग्र कुल हानि (%)
सुपारी	4.01
काली मिर्च	1.26
काजू	3.07
नारियल	3.61
अंडा	5.53
समुद्री मछली	8.75
मांस	2.2
पॉल्ट्री मांस	5.32
टैपिओका	4.8

कर्नाटक	
उत्पाद	समग्र कुल हानि (%)
सुपारी	4.15
बाजरा	5.03
बीन्स	7.33
काली मिर्च	1.31
शिमला मिर्च	5.75
काजू	3.17
नारियल	3.78
अंडा	5.64
अंगूर	8.02
अंतर्देशीय मछली	4.82
मक्का	4.41
समुद्री मछली	8.97
प्याज	8.7
अरहर	4.57
अनानास	3.73
अनार	8.19
कुसुम	3.1
ज्वार	5.69
सोयाबीन	6.63
गन्ना	4.84
सूरजमुखी	4.22
टमाटर	9.97
हल्दी	4.63

मध्य प्रदेश	
उत्पाद	समग्र कुल हानि (%)
बाजरा	4.53
काला चना	6.73
लौकी	7.46
शिमला मिर्च	4.33
फूलगोभी	6.46
चना	5.85
मिर्च	6.29
साइट्रस	7.4
धनिया	6.01
अंडा	6.33
हरी मटर	6.27
मूंगफली	6.11
अमरूद	14.93
मक्का	6.3
दूध	0.53
खरबूजा	5.76
सरसों	4.86
भिंडी	5.84
प्याज	8.11
धान	4.2
अरहर	6.43
आलू	7
ज्वार	6.76
सोयाबीन	7.36
टमाटर	11.85
गेहूँ	4.94

महाराष्ट्र	
उत्पाद	समग्र कुल हानि (%)
बाजरा	4.21
केला	6.06
काला चना	7.48
चना	5.4
साइट्रस	8.79
कपास	2.98
अंडे	5.55
अंगूर	6.73
मूंग	5.9
मूंगफली	6.16
मक्का	5.3
आम	8.61
समुद्री मछली	8.8
मांस	2.78
दूध	0.65
मशरूम	9.24
प्याज	6.78
धान	4.44
अरहर	6.9
अनार	6.02
पॉल्ट्री मांस	4.78
कुसुम	3.02
ज्वार	6.16
सोयाबीन	8.84
गन्ना	8.61
सूरजमुखी	4.93

मेघालय	
उत्पाद	समग्र कुल हानि (%)
टैपिओका	4.99
हल्दी	5.64
काजू	4.53

नागालैंड	
उत्पाद	समग्र कुल हानि (%)
टैपिओका	5.42

ओडिशा	
उत्पाद	समग्र कुल हानि (%)
लौकी	7.57
बैंगन	7.3
पत्ता गोभी	8.08
फूलगोभी	7.65
चना	6.09
अंडा	6.63
मूंग	6.11
अंतर्देशीय मछली	5.68
समुद्री मछली	9.89
मशरूम	13.64
भिंडी	6.25
धान	4.17
टमाटर	13.19

पंजाब	
उत्पाद	समग्र कुल हानि (%)
शिमला मिर्च	4.31
साइट्रस	5.4
हरी मटर	6.67
मक्का	6.91
दूध	0.63
मशरूम	6.7
खरबूजा	5.48
धान	3.15
आलू	5.57
गन्ना	4.38
गेहूँ	4.55

राजस्थान	
उत्पाद	समग्र कुल हानि (%)
बाजरा	5.03
काला चना	5.74
चना	5.83
धनिया	5.7
कपास	2.53
मूंग	6.21
मूंगफली	5.03
मक्का	5.81
दूध	1.35
सरसों	4.75
ज्वार	6.01
सोयाबीन	6.54
गेहूँ	6.25

तमिलनाडु	
उत्पाद	समग्र कुल हानि (%)
केला	7.47
बीन्स	7.82
काला चना	5.93
अंडा	6.6
मूंगफली	5.31
मक्का	4.39
समुद्री मछली	9.14
मांस	3.04
मशरूम	11.03
धान	5.98
पॉल्ट्री मांस	6.08
ज्वार	6.29
गन्ना	8.65

तेलंगाना	
उत्पाद	समग्र कुल हानि (%)
मिर्च	6.06
साइट्रस	7.73
कपास	3.04
अंडा	5.36
मूंग	6.24
मूंगफली	6.67
मक्का	6.51
मांस	1.61
अरहर	5.01
पॉल्ट्री मांस	8.12

उत्तराखंड	
उत्पाद	समग्र कुल हानि (%)
सेब	11.5
दूध	1.16
धान	2.87
गन्ना	5.46
गेहूँ	2.51

उत्तर प्रदेश	
उत्पाद	समग्र कुल हानि (%)
बाजरा	4.11
काला चना	6.11
लौकी	6.43
अंडा	6.06
हरी मटर	6.34
अंतर्देशीय मछली	4.99
मक्का	5.77
मांस	2.8
दूध	1.12
मशरूम	2.74
खरबूजा	7.25
सरसों	5.97
धान	4
आलू	5.82
पॉल्ट्री मांस	7.24
गन्ना	6.91
गेहूँ	6.36

पश्चिम बंगाल	
उत्पाद	समग्र कुल हानि (%)
बीन्स	5.48
बैंगन	7.85
पत्ता गोभी	8.71
फूलगोभी	7.26
अंडे	7.07
मूंग	6.24
मूंगफली	7.24
अमरूद	15.86
अंतर्देशीय मछली	3.79
मक्का	5.42
समुद्री मछली	8.94
मांस	2.41
दूध	1.09
सरसों	6.21
भिंडी	6.05
धान	5.14
अनानास	5.66
आलू	5.71
पॉल्ट्री मांस	5.41
मूली	6.45
सूरजमुखी	5.21
गेहूँ	6.13

अनुबंध- II

दिनांक 11 दिसंबर, 2025 को उत्तर के लिए "फसल कटाई के उपरांत हानि" के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1976 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या (पीएमकेएसवाई) की पिछले चार वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राज्यवार स्थिति						
क्र.स.	**राज्य**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25**	**2025-26**
1	अंडमान और निकोबार	0	0	0	0	0
2	आंध्र प्रदेश	1	25	11	0	3
3	अरुणाचल प्रदेश	0	2	5	0	0
4	असम	2	21	36	0	0
5	बिहार	0	4	3	0	0
6	चंडीगढ़	0	0	0	0	0
7	छत्तीसगढ	0	3	1	0	1
8	दादर और नगर हवेली और दमन और दीव	0	0	0	0	0
9	दिल्ली	0	0	0	0	1
10	गोवा	0	0	1	0	0
11	गुजरात	0	18	4	0	2
12	हरियाणा	0	6	9	2	1
13	हिमाचल प्रदेश	0	1	4	0	0
14	जम्मू और कश्मीर	0	1	1	0	1
15	झारखंड	0	0	0	0	0
16	कर्नाटक	0	6	12	0	3
17	केरल	0	8	9	2	3
18	लद्दाख	0	0	0	0	0
19	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0
20	मध्य प्रदेश	0	16	6	0	0
21	महाराष्ट्र	1	55	30	0	2
22	मणिपुर	0	0	3	0	0
23	मेघालय	0	0	3	0	0
24	मिजोरम	0	0	0	0	0
25	नागालैंड	0	0	0	0	0
26	उड़ीसा	0	7	7	2	2
27	पुडुचेरी	0	0	0	0	0
28	पंजाब	0	10	4	0	0
29	राजस्थान	0	14	7	1	1
30	सिक्किम	0	0	0	0	0
31	तमिलनाडु	1	16	17	0	11
32	तेलंगाना	0	10	23	0	1
33	त्रिपुरा	0	1	0	0	0
34	उत्तर प्रदेश	0	18	9	0	3
35	उत्तराखंड	0	8	4	1	0
36	पश्चिम बंगाल	0	8	6	0	1
	कुल	**5**	**258**	**215**	**8**	**36**

****